निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 46 / 18
दायरा दिनांकः– 10.01.2019
निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

उनवान

1. मुस० रसीदा बेगम आयु 70 वर्ष पुत्री शफीउद्धीन पत्नि अब्दुल कदीर जाति मुसलमान निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम छोटी चोपड़ गंगूरी बाजार चीनी की बुर्ज मकान नम्बर 605 जयपुर जिला बारां (राज०)

..............प्रार्थीया

बनाम

1. सरफद्धीन आयु 55 वर्ष आत्मज शफीउद्धीन जाति मुसलमान निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम ईदगाह बाई पास रोड़ वन बिहार कॉलोनी मकान नम्बर जेएमसी 8 कच्ची बस्ती हाउसिंग बोर्ड जयपुर जिला जयपुर
2. अमीरूद्धीन आयु 45 वर्ष आत्मज शफीउद्धीन जाति मुसलमान निवासी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) हाल मुकाम ईदगाह बाई पास रोड़ वन बिहार कॉलोनी मकान नम्बर जेएमसी 8 कच्ची बस्ती हाउसिंग बोर्ड जयपुर जिला जयपुर
3. समीउद्दीन आयु 60 वर्ष आत्मज शफीउद्धीन जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 13 किले के नीचे छबड़ा तहसील छबडा जिला बारां (राज०)
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज०)
5. उप पंजियन अधिकारी छबड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०)

.....................अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट
निर्णय दिनांकः– 27.08.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कमलसिंह आसावत – प्रार्थी
2. श्री नीरज माहेश्वरी – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम हनुवतखेड़ा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में भूमियां खसरा नम्बरान 122 रकवा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, कुल 2 कित्ता आराजीयात मवाजी 8 बीघा अवस्थित है। जो पूर्व में प्रार्थीया के पिता शफीउद्धीन आत्मज नुरुद्दीन जाति मुसलमान निवासी छबड़ा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) के नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज चली आ रहीं है । शफीउद्दीन का स्वर्गवास हो चूका है। मृतक खातेदार शफीउद्दीन के जायज वारिस तथा कायम मुकामान प्रार्थीया पुत्री तथा अप्रार्थी कम संख्या 1 ता 3 पुत्र एवं मुरादी बेगम बेवा है. जो उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार मृतक शफीउद्धीन की मृत्यु के बाद हिस्सा बराबर के हिसाब से अर्थात् प्रार्थनी हिस्सा 1/5 अप्रार्थी कम संख्या 1 सरफुद्धीन हिस्सा 1/5 के अप्रार्थी कम संख्या 2 अमीरउद्धीन हिस्सा 1/5 एवं अप्रार्थी क्रम 3 हिस्सा 1/5 तथा मुरादी बेगम हिस्सा 1/5 को वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदार है। उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार शफीउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् उसकी बेवा मुरादी बेगम का स्वर्गवास हुआ है। प्रार्थनी के भाई अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 ने अप्रार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ–गांठ कर प्रार्थनी के ससुराल में होने का नाजायज लाभ उठाते हुए बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथ बगेर अनुमति प्रार्थनी के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर उक्त वर्णीत भूमियो के मूल खातेदार सरफुद्धीन की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका फौती इंतकाल नम्बर 104 केवल मात्र अपने तथा मुरादी बेगम के नाम तस्दीक कराकर भूमियो को अपने तथा मुरादी बेगम के नाम खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी दर्ज करवा लिया और प्रार्थनी जो कि उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार शफीउद्दीन की मृत्यु के पश्चात् उसकी पुत्री होने के कारण उक्त वर्णित भूमियो की हिस्सा 1/5 की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदार थी। को उसके जायज हक से वंचित कर दिया। जिसका कि उनको किसी भी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। और न ही अप्रार्थीगण कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा को बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगेर अनुमति प्रार्थीया के तथा प्रार्थीया को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही एवं मृतक खातेदार शफीउद्दीन के सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बगेर ही चुपचाप एक पक्षीय तौर पर उक्त इंतकाल तस्दीक करने का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः उक्त इंतकाल नम्बर 104 अवैधानिक एवं गैर कानूनी तरीको से तस्दीक किये जाने के कारण प्रार्थीया उसको खारिज करने की अधिकारणी है। अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से तस्दीक कराये गये इंतकाल नम्बर 104 के आधार पर प्राप्त खातेदारी के आधार पर अप्रार्थीगण कम संख्या 1 एवं 2 ने षड्यंत्र रचकर बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगैर अनुमति प्रार्थीया के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर अपना हिस्सा 1/4–1/4 हिस्से का हकत्याग अप्रार्थी कम संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 15/07/2002 को जर्य रजिस्ट्री कर दिया उसके पश्चात् अप्रार्थी कम संख्या 3 ने अप्रार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ–गांठ कर बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगेर अनुमति प्रार्थीया के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर अवैधानिक एवं गैरकानूनी तरीको से तस्दीक कराये गये हकत्याग के आधार पर इंतकाल नम्बर 567 तस्दीक कराकर भूमियो को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया इसी प्रकार खातेदार मुरादी बेगम की मृत्यु के बाद इंतकाल नम्बर 685 को तस्दीक करवाकर उसका नाम खातेदारी से खारिज करवाकर सम्पूर्ण भूमियों को अकेले अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा लिया जिसका कि अप्रार्थी कम संख्या 3. को किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। क्योंकि उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार शफीउद्धीन की मृत्यु के पश्चात् मुताबिक सजरा खानदान उक्त वर्णित भूमियों के मृतक खातेदार शफीउद्दीन के पुत्र सरफुद्धीन हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

1/5 समीउद्दीन हिस्सा 1/5 प्रार्थनी रसीदा बेगम हिस्सा 1/5 एवं बेवा मुरादी बेगम हिस्सा 1/5 एवं अमीर उद्दीन हिस्सा 1/5 के ही वैधानिक एवं कानूनी तौर पर हिस्सेदार थे, इस कारण अप्रार्थीगण कम संख्या 1 एवं 2 को हिस्सा 1/5 हिस्सा 1/5 का हकत्याग कराने का ही अधिकार प्राप्त था। अतः सरफुद्दीन एवं अमीर उद्दीन के द्वारा अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से तस्दीक कराये गये मूल इंतकाल नम्बर 104 के तहत् प्राप्त खातेदारी के आधार पर समीउद्दीन के पक्ष में हिस्सा 1/4. हिस्सा 1/4 का तस्दीक कराया गया हकत्याग अवैध एवं प्रभाव शून्य है। एवं उसके आधार पर अप्रार्थी कम संख्या 3 के पक्ष में तस्दीक किया गया इंतकाल नम्बर 567 अवैध एवं प्रभावशून्य है, जिसको प्रार्थनी खारिज कराने की वैधानिक एवं कानूनी तौर पर अधिकारणी है। इसी प्रकार से मुरादी बेगम की मृत्यु के बाद उसके 1/4 हिस्से की भूमि को मुताबिक सजरा खानदान अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता एवं प्रार्थनी के नाम समभाग से इंतकाल तस्दीक कर उनकी खातेदारी में दर्ज किया जाना चाहिए था। अतः अप्रार्थी कम संख्या 3 ने अपार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियों से सांठ–गांठ कर बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगैर अनुमति प्रार्थनी के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर इंतकाल नम्बर 685 तस्दीक करवा कर मुरादी बेगम का नाम खाते से खारिज करवाया है, जिसका कि उसको किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। और न ही अप्रार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा को बिना सूचना एवं बिना जानकारी तथा बगैर अनुमति प्रार्थीया के चुपचाप एक पक्षीय तौर पर एवं प्रार्थीया को सुनवाई समुचित अवसर दिये बिना ही तथा मुरादी बेगम के सम्पूर्ण वारिसान की जांच किये बिना ही इंतकाल नम्बर 685 तस्दीक कर मुरादी बेगम का नाम खाते से खारिज किया है। जिसका कि उसको किसी भी प्रकार का कोई वैधानिक एवं कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः उक्त इंतकाल नम्बर 685 भी अवैध एवं प्रभाव शून्य है, जिसको प्रार्थीया खारिज कराने की अधिकारणी है। उक्त वर्णित भूमियो के मूल खातेदार शफीउद्दीन तथा उसकी बेवा मुरादी बेगम का स्वर्गवास हो जाने के कारण उनके जायज वारिस तथा कायम मुकामान वादनी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 सम्भाग से अर्थात् प्रार्थीया हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या । हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 2 हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी कम संख्या 3 हिस्सा 1/4 के उक्त वर्णित भूमियो के वैधानिक एवं कानूनी तौर पर शामलाती खातेदारान है। अतः प्रार्थीया अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से तस्दीक किये गये इंतकाल नम्बर 104,567,685 जो कि अवैध एवं प्रभाव शून्य है. को खारिज कराने एवं उक्त अनुपात से अर्थात् प्रार्थीया हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 1 हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 2 हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थी कम संख्या 3 हिस्सा 1/4 के हिसाब से अपने–अपने नाग खातेदारी अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड भू अभिलेख जमाबंदी में दर्ज कराने एवं उक्त अनुपात से भूमियों का विभाजन कराने एवं विभाजित शुदा भूमियो का हिस्सा 1/4 की प्रार्थीया अपने अधिपत्य में प्राप्त करने की अधिकारणी है। अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से अप्रार्थी कम संख्या 3 के द्वारा उक्त वर्णित भूमियों की प्राप्त खातेदारी तथा तस्दीक किये गये इंतकाल नम्बर 104,567, तथा 685 की जानकारी प्रार्थीया को पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12/09/2018 को दिये जाने के पश्चात् प्रार्थीया ने अप्रार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा के सम्बधित रेवेन्यू अधिकारियों से सम्पर्क कर इंतकाल 104,567, तथा 685 जी कि अवैधानिक तथा गैरकानूनी तरीको से तस्दीक किये जाने एवं यह अवैध तथा प्रभाव शून्य होने के कारण उनको खारिज कर उक्त वर्णित भूमियों को

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 ता 3 के नाम समभाग से अर्थात् प्रार्थनी हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 1 हिस्सा 1/4 अप्रार्थी कम संख्या 2 हिस्सा 1/4 तथा आप्रार्थी कम संख्या 3 हिस्सा 1/4 के अनुपात से उनके नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज करने का कई मर्तबा अनुरोध किया किन्तु प्रार्थीया की कोई सुनवाई नहीं की। अन्त में दिनांक 28/09/2018 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 4 तहसीलदार छबड़ा द्वारा प्रार्थीया को खातेदारी का प्रार्थना पत्र पेश करने की हिदायत दी उसके बाद वादनी ने अप्रार्थी कम संख्या 3 से भी उक्त वर्णित भूमियों को उक्त अनुपात से प्रार्थनी तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 1 लगायत 3 के नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज कराने एवं भूमियों का विभाजन उक्त अनुपात से कर भूमियो को प्रार्थीया तथा अप्रार्थीगण के नाम पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज कराने का कई मर्तबा अनुरोध किया। किन्तु वह भी टामल–दूल करता चला आ रहा है। अन्त में दिनांक 14/10/2018 को पुनः अनुरोध करने पर अप्रार्थी कम संख्या 3 ने उक्त अनुपात से भूमियों को खातेदारी में दर्ज कराने एवं भूमियो का विभाजन करने से कतई इन्कार कर दिया। और भूमियो का अन्यत्र रहन, वैय तथा हस्तान्तरण करने की प्रार्थीया को धमकी दी। यदि अप्रार्थीगण कम संख्या 3 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् भूमियो को अन्यत्र रहन, वैय तथा हस्तान्तरण नहीं करने बाबत् तथा अप्रार्थीगण कम संख्या 4 एवं 5 को भूमि को अन्यत्र रहन वैय तथा हस्तान्तरण करने की कार्यवाही को निष्पादित नहीं करने बाबत पाबंद नहीं फरमाया गया तो प्रार्थीया को दीगर मुकदमें बाजीयों में मशरूफ होकर जेरबार होना पड़ेगा। तथा प्रार्थीया को भयंकर रूप से आर्थिक क्षति होगी। जिसकी पूर्ति होना नितांत असम्भव हो जावेगा। अतः प्रार्थीया अप्रार्थी कम 3 ता 5 के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद जारी कराने की अधिकारणी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2029–32 खाता सं. 133, नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2054–57 खाता संख्या 171, नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा समवत 2074–77 खाता सं. 238, नकल नामांतरकरण सं. 567 दिनांक 12.09.2003 ग्राम हनुवतखेडा, नकल नामांतरकरण सं. 202 दिनांक 01.09.2007 ग्राम हनुवतखेडा पेश की गई। अप्रार्थीगण की ओर से रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 15.07.2002, इकरारनामा बाबत हक समाप्ति दिनांक 06.08.2002, पांतीनामा दिनांक 07.06.1973 पेश किये गये है।

अप्रार्थी क्रम 3 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा अपने जवाब मे बताया कि प्रार्थनी शफीउद्दीन की संतान ही नही है ना ही मुरादी बेगम ने शफीउद्दीन के नुत्फे से प्रार्थनी को जन्म दिया ना ही प्रार्थनी का शफीउद्धीन के खानदान से कोई ताल्लुक है शफीउद्दीन के केवल 3 औलाद है अप्रार्थी कम 1 ता 3 है। मुरादी बेगम ने कभी भी किसी पुत्री को जन्म नही दिया है। इसलिए शफीउद्दीन की सम्पत्ति में प्रार्थनी का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कोई हक व अधिकार नहीं है एंव किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। विवादित आराजी पर शमीउद्दीन के जीवनकाल से आज तक प्रार्थनी का कब्जा नहीं रहा कब्जे के अभाव में प्रार्थना पत्र मैनटेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। इकरार नामा बाबत् हक समाप्ति दिनांक 06/08/2002 जो अप्रार्थी कम 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी कम 3 के पक्ष में आलेखित किया गया है कि खसरा नम्बर 122 व 123 की आराजी 8 बीघा जो ग्राम हनुवतखेड़ा मे स्थित है के मालिक हम सरफउद्दीन, समीउद्दीन, अमरूउद्दीन व हमारी मां मुरादी बेगम उक्त सम्पत्ति के मालिक है। जिस पर हमारा स्वामित्व व अधिकार चला आ रहा है। उक्त सम्पत्ति को शुरू से ही हमारा भाई शफीउद्दीन ही सारसम्भाल करता चला आ रहा है उक्त 8 बीघा आराजी मे हमने हमारा हक पूर्णतया समाप्त कर हमारा हक शमीउद्दीन के हक मे छोड़ते है इस दस्तावेज पर प्रार्थनी के पति अब्दुल कदीर व प्रार्थनी के दामाद मुन्ना के बतौर गवाह हस्ताक्षर है यदि प्रार्थनी शफीउद्दीन की जाईन्दा पुत्री होती तो उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अब्दुल कदीर अपनी पत्नी प्रार्थनी के हिस्से बाबत् आपत्ति अवश्य करता ऐसा नहीं करना प्रार्थना पत्र को झूठा साबित करता है। प्रार्थनी द्वारा कभी भी शफीउद्दीन व मुरादी बेगम के जीवनकाल में कभी भी प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया एंव स्वंय की मृत्यु के कुछ समय पहले ही प्रार्थना पत्र पेश करना संदेह उत्पन्न करता है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हनुवतखेडा तहसील छबडा मे स्थित है। जो पूर्व मे प्रार्थिया के पिता सरफुद्धीन के खातेदारी मे थी। शफीउद्धीन की मृत्यु के बाद उसके वारिसान के नाम 1/5–1/5 भूमि दर्ज होनी थी। परन्तु शफीउद्धीन का फोती इंतकाल नं. 104 मात्र अपने (अप्रार्थी) तथा मुरादी बेगम के नाम तस्दीक कराकर भूमियों को अपने व मुरादीबेगम के नाम खातेदारी दर्ज करवा लिया। प्रार्थिया शफीउद्धीन की पुत्री होने के कारण मृतक खातेदार शफीउद्धीन की भूमि मे अपना हिस्सा 1/5 अपने खाते दर्ज कराने की कानूनी अधिकारी है। परंतु प्रार्थिया को उसके जायज हक से वंचित कर दिया। जबकि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई कानूनी अधिकार नही था। मृतक खातेदार शफीउद्धीन का फोती नामांतरकरण खोलते समय वारिसान की बिना जाचं किये इन्तकाल तस्दीक किया गया। जो काबिल खारिज है। फोती नामांतरकरण के आधार पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 3 के पक्ष मे दिनांक 15.07.2004 को जर्ये रजिस्टर्ड हकत्याग कर दिया। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा अपने पक्ष मे 1/4–1/4 हिस्से का करवाया गया हकत्याग अवैध एवं प्रभावशून्य है। अप्रार्थीगण प्रार्थिया को उसके हिस्से की भूमि से वंचित रखने के लिये उक्त भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि विवादित भूमि का रहन, बेचान नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील अप्रार्थी क्रम 3 का कथन है कि प्रार्थिया शफीउद्धीन की संता नही हैं। मुरादी बेगम ने शफीउद्धीन के नुत्फे से प्रार्थी को जन्म नही दिया। प्रार्थिया का शफीउद्धीन के खानदान से कोई ताल्लुक नही है। शफीउद्धीन के केवल तीन संतान है। मुरादी बेगम ने किसी भी पुत्री को जन्म नही दिया । इसलिए शफीउद्धीन की संपति मे प्रार्थिया का कोई हक व अधिकार नही है। विवादित आराजी पर शफीउद्धीन के जीवनकाल से आज तक प्रार्थिया का कभी कब्जा काश्त नही रहा। इकरार नामा दिनांक 06.08.2002 हक समाप्ति बाबत अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा अप्रार्थी क्रम 3 के पक्ष मे लिखा गया है। जो संपूर्ण हक समाप्त कर समीउद्धीन के हक मे छोडा गया है। यदि प्रार्थिया शफीउद्धीन की जायन्दा पुत्री होती तो उक्त दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले अब्दुल कदीर अपनी पत्नी प्रार्थिया के हिस्से बाबत आपत्ति अवश्य करता। अप्रार्थी क्रम 3 विवादित आराजी का मालिक एवं खातेदार है प्रार्थिया उसके कब्जे काश्त मे दखलअंदाजी करने की अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2029—32 खाता सं. 133 मे सफीउद्धीन पुत्र नुरूद्धीन मुसलमान साकिन छबडा बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा सम्वत 2054—57 खाता सं. 171 में मुरादीबेगम बेवा शफीउद्धीन, सरफूदीन, अमरूद्धीन पिसरान शफीउद्धीन जाति मुसलमान साकिन छबडा बतौर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम हनुवत खेडा सम्वत 2074—77 खाता सं. 238 मे रिज्यूम समीउद्धीन पुत्र शफीउद्धीन जाति मुसलमान साकिन छबडा दर्ज है। नकल नामांतरकरण सख्या 104 दिनांक 22.05.1973 शफीउद्धीन के फोत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किया गया। प्रस्तुत नामान्तरकरण से यह साबित होता है कि शफीउद्धीन की तीन संतान थी जिनके नाम फोती नामांतरकरण खोला जाकर तस्दीक किया गया। नकल नामांतरकरण संख्या 567 दिनांक 12.09.2003 रजिस्टर्ड हकत्याग से सम्पूर्ण हिस्सा भाई समीउद्धीन के पक्ष मे किया जाकर तस्दीक किया गया। नकल नामांतरकरण संख्या 202 दिनांक 01.09.2007 खातेदार मुरादीबेगम के फोत होने पर खाते से नाम खारिज करने का नामांतरकरण खोलाजाकर तस्दीक किया गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि शफीउद्धीन का फोती नातांतरकरण 22.05.1973 को खोला गया था। प्रार्थिया द्वारा उक्त नामांतरकरण को चुनोती नही दी गई और ना ही उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुके है। इसलिए उनके इकबालीया जवाब का कोई औचित्य नही। यद्धपि प्रार्थी के खातेदारी अधिकारो का निर्धारण मूल वाद मे प्रस्तुत साक्ष्य/सबूतो के आधार पर किया जायेगा। तथापि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नही है। इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा